Date : 29 मार्च 2023

प्रेस की स्वतंत्रता

संदर्भ- हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि वह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की **सदस्य**ता नहीं लेती, और वह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट के **निष्कर्षों** से सहमति नहीं रखती है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के अनुसार इसके निम्न कारण हैं-

- नमूने का छोटा आकार
- लोकतंत्र के सिद्धांतों को बहुत कम या बिल्कुल महत्व न देना
- गैर पारदर्शी प्रक्रिया
- प्रेस की स्पष्ट परिभाषा का अभाव।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक- विश्व प्रेस सूचकांक को विदेशी संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे **रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर** कहा जाता है। आरएसएफ एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जिसका **स्वघोषित** उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्भर करती है-

- राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी व सामाजिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र।
- शारीरिक व मानसिक खतरों के अभाव में सार्वजनिक हित में समाचारों का चयन।
- समाचारों का उत्पादन व प्रसार करने की पत्रकारों की क्षमता।

2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 150वे स्थान पर था। 2021 **में** उसकी स्थिति 142वे स्थान पर थी। सूचकांक2022 में सबसे शीर्ष पर नॉर्वे था।

भारतीय प्रेस परिषद-

भारतीय प्रेस परिषद का गठन प्रथम **प्रेस** आयोग की सिफारिशों के तहत 1966 में किया गया था। भारतीय प्रेस परिषद एक सांविधिक अर्ध न्यायिक **स्वा**यत्तशासी प्राधिकरण है। इसकी पुनर्स्थापना संसद के एक अधिनियम प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत की गई थी।

भारतीय प्रेस परिषद के उद्देश्य- भारतीय लोकतांत्रिक समाज में प्रेस को स्वतंत्र व **उत्तर**दायी बनाना है इसके लिए भारत में समाचार पत्रों व **एजेंसियों** के स्तरों को बनाए रखना और उनमें सुधार करके प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना आवश्यक माना जाता है।

अधिनियम की धारा 13 के अनुसार **प्रेस परिषद के कार्य**–

- समाचार पत्रों व समाचार उद्देश्यों की **स्वतंत्रता** बनाए रखने, में उनकी सहायता करना।
- समाचार पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक **रुचि** के उच्च मानकों को बनाए रखना।
- समाज के नागरिकों को अधिकारों व **कर्तव्यों** के प्रति जागरुक करना।
- सार्वजनिक हित व सार्वजनिक महत्व के समाचार पत्रों के प्रचार प्रसार व उनकी आपूर्ति में आई बाधा की समीक्षा करना।
- समाचार पत्रों व समाचार एजेंसियों के **प्रकाशन** या उत्पादन से जुड़े सभी वर्गों के **व्यक्तियों** के बीच कार्यात्मक संबंध को बढ़ावा देना।
- प्रेस परिषद का प्रयोजन प्रेस के लिए हित प्रहरी के रूप में कार्य करना है।

प्रेस की स्वतंत्रता-

- **संविधान के अनुच्छेद 19** में **अभिव्यक्ति** की स्वतंत्रता दी गई है जो प्रेस को भी स्वतंत्रता देती है।

- भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 4 में भी प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और सरकार सहित किसी भी अन्य प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप करने पर, प्रेस उस संबंध में टिप्पणी कर सकती है।
- **रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य** केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नीव प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित है। मीडिया को भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है।

प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध-

संविधान के अनुच्छेद 19 का खण्ड 2, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। यह प्रतिबंध निम्न आधार पर लगाया जा सकता है-

1. भारत की सुरक्षा व संप्रभुता को नुकसान
2. मानहानि
3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध पर प्रभाव
4. सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार पर प्रभाव
5. न्यायालय की अवमानना।

टेलीविज़न के लिए, सभी चैनलों को केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत प्रोग्राम कोड का पालन करना आवश्यक है, जबकि डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

आईटी अधिनियम, 2000 के तहत, जो डिजिटल समाचार प्रकाशकों द्वारा पालन के लिए आचार संहिता प्रदान करता है।

भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता की चुनौतियाँ

- सरकार के विरुद्ध लेख या समाचार प्रसारित करने पर उन पर सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा **अनुच्छेद 19 का खण्ड 2** के तहत मानहानि या राष्ट्रविरोधी का केस किया जा सकता है।
- मीडियाकर्मियों स्वतंत्र पत्रकारिता के कारण को पुलिस और अपराधियों से हमेशा खतरा रहता है। जिससे कई बार वे हिंसा का शिकार हो जात हैं।

आगे की राह

- पत्रकारिता और सरकार हमेशा आमने सामने रहती हैं। जिससे कई बार पत्रकारिता की सुरक्षा दाव पर रहती है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए उपबंधा किए जा सकते हैं।
- पत्रकारिता में नीतिगत लेखों को प्रमुखता दी जानी चाहिए।
- सरकार की नीतियों को अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, जिससे सरकार की नीतियों को प्रमाण के साथ पत्रकारिता में पेश किया जा सके।

स्रोत

Indian Express

https://presscouncil.nic.in/Hindi/Default.aspx

Gunjan Joshi

yojnaias.com

नवरोज उत्सव

अमोनिया युक्त यमुना नदी

संदर्भ- यमुना नदी में अमोनिया के उच्च स्तर के कारण दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहती है। दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वजीराबाद में यमुना के जल में अमोनिया की मात्रा 5 पीपीएम तक पहुँच गई जबकि यमुना के जल शोधन की क्षमता 1 पीपीएम अमोनिया तक ही है जिस कारण स्वच्छ जल उत्पादन की मात्रा 10% से 50% तक कम हो गई है।

यमुना नदी-

- यमुना नदी, गंगा की एक सहायक नदी है, जो उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। और उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में इसका गंगा के साथ संगम हो जाता है।
- यमुना की सहायक नदियों में चम्बल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा व केन प्रमुख हैं।
- इसके साथ ही यह उत्तराखण्ड, हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्यों की क प्रमुख नदी है।
- यमुना भारत के कई प्रमुख नगरों की जीवन रेखा है, ये हैं- दिल्ली, आगरा, इटावा, कालपी और प्रयाग आदि।

अमोनिया-

- अमोनिया एक जहरीली गैस है, जो नाइट्रोजन के एक व हाइड्रोजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनी है। इसे NH3 भी कहा जाता है।
- अमोनिया का इपयोग उर्वरकों, प्रशीतन व सफाई उत्पादों में किया जाता है।
- मानव शरीर में अमोनिया 15-45 माइक्रो ग्राम प्रति डीएल तक होती है।
- वायुमण्डलीय सल्फेट व नाइट्रेट के साथ मिलकर अमोनिया, **पीपीएम 2.5** का निर्माण करती है। जिसकी अधिकता यमुना के जल में प्राप्त हो रही है।

यमुना में अमोनिया स्रोत-

- **कृषि गतिविधियाँ-** कृषि युक्त क्षेत्रों में अमोनिया युक्त रासायनिक उर्वरक, खाद, सिंथेटिक खाद का उपयोग करने पर अमोनिया का खतरा बढ़ जाता है, अमोनिया युक्त कृषि की मिट्टी का प्रवाह स्थानीय नदियों व जल स्रोतों से सम्पर्क होने पर जल में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है।
- **उद्योगों द्वारा-** अमोनिया का अधिकतर उपयोग उद्योगों में होता है। जिनके निक्षेप व अपशिष्ट का मानव से सम्पर्क होने पर व मानव शरीर को प्रभावित करते हैं।
- **घरेलू उत्सर्जन –** खाना पकाने, सफाई एजेंटों व चयापचय गतिविधियों और धूम्रपान जैसे स्रोत घरेलू अमोनिया उत्सर्जकों में योगदान दे सकते हैं।
- **सीवेज स्रोत –** सीवेज कचरे के प्रसंस्करण से बड़ी मात्रा में अमोनिया का उत्पादन हो सकता है। वजीराबाद बैराज से पहले अनुपचारित जल वाले 13 नाले यमुना में मिल जाते हैं।
- **सीमेंट कंक्रीट –** किसी भी निर्माण कार्य प्रयुक्त होने वाले सीमेण्ट कंक्रीट बड़ी मात्रा में अमोनिया का उत्पादन करते हैं। इसके साथ ही पेंट भी अमोनिया के स्रोत होते हैं।

अमोनिया युक्त जल के प्रभाव

- **स्वास्थ्य पर प्रभाव-** शरीर में अमोनिया की अधिकता से श्वसन संबंधी समस्याएं, आंख व त्वचा में जलन की समस्या हो सकती है।अमोनिया युक्त जल के सेवन से अमोनिया के संपर्क में आने वाले मुँह, गले व पेट में संक्षारक रूप से प्रभाव पड़ता है।
- **जलीय जीवों पर प्रभाव-** जल में अमोनिया की मात्रा 1 पीपीएम से अधिक होने पर जलीय जीवों जैसे मछलियों के लिए जल मारक हो सकता है। और जल बोर्ड के अनुसार यमुना में अमोनिया की मात्रा 5 पीपीएम तक है।
- अमोनिया जल में ऑक्सीजन की मात्रा को भी कम कर देती है।
- अमोनिया युक्त जल को पेयजल के रूप में परिवर्तित करने के लिए अमोनिया संशोधन प्लांट की आवश्यकता होती है। जो पेयजल की आपूर्ति हेतु सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक भार होता है।

दिल्ली जल बोर्ड

- दिल्ली जल बोर्ड का गठन एक अधिनियम के माध्यम से किया गया था।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

- भाखड़ा भण्डारण, ऊपरी गंगानहर और भूजल जैसे पानी के स्रोतों से पानी का उपचार पीने योग्य पानी का वितरण करता है।
- इसके साथ ही वह सीवेज के संग्रह, उपचार व निपटान के लिए दिल्ली जल बोर्ड उत्तरदायी है।

जल उपचार संयंत्र- दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार नगर में निम्नलिखित जल उपचार संयंत्रों की स्थापना की गई है-

- वजीराबाद बैराज
- चंद्रावल जल उपचार संयंत्र
- मल जल उपचार संयंत्र ओखला
- सोनिया विहार
- हैदरपुर नांगलोई
- बवाना
- द्वारका
- पुनर्चक्रण संयंत्र

आगे की राह-

यमुना में अमोनिया के उत्पादन अर्थात जल प्रदूषण को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। यमुना में प्रदूषित जल को आने से पहले ही संशोधित किया जाना चाहिए। प्रत्येक जल स्रोत में प्रदूषित अपशिष्ट के अपवर्जन को रोका जा सकता है। इसके साथ ही अमोनिया युक्त उर्वरकों के स्थान पर जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

स्रोत

Indian Express

http://delhijalboard.nic.in/content/about-us-3

Gunjan Joshi

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com